Form No. 18

RAJASTHAN PARAMEDICAL COUNCIL, JAIPUR

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

1st Year Main Exam (Theory) Session 2017-18 &

Remanded Exam 1st Yr Session 2015-16, 2016-17

RULES FOR THE GUIDANCE OF CANDIDATES

परीक्षार्थियों के लिये निर्देशक नियम

1. The order in which the question-papers for each examination will ordinarily be given, will be found in the programmers of examinations separately.
   प्रत्येक परीक्षा के प्रश्न--पत्रों के क्रम की सूचना परीक्षा–कार्यक्रम में अंकित होगी जो पृथक से जारी किया रहा है।
2. Candidates should read the question-papers very carefully before they begin to write their answers.
   परीक्षार्थियों को चाहिए कि उत्तर लिखना प्रारम्भ करने से पूर्व प्रश्न–पत्र भली भाँति पढ़ लें।
3. The doors will open an hour before the time of examination on the first day and 30 minutes before on subsequent days and close punctually on each day at the hour of the commencement of the examination, after which no candidate will be admitted, Candidates should assemble in the Examination Hall at least 15 minutes before the commencement of the examination. On Certain days there will be two/three sessions (morning. Noon and afternoon).
   (a) Candidates will be required to hand-over their answer books as soon as the time of the examination is over. They should not leave the examination room without handing over their answer-books to the invigilators incharge.
   (b) One hour extra will be given to blind candidates for answering their question-paper at the Examination.
   परीक्षा के प्रथम दिन–भवन के द्वार एक घण्टा तथा अन्य दिनों 30 मिनट पूर्व खुलेंगे तथा परीक्षा शुरू होने के समय पर बन्द हो जायेंगे जिसके बाद किसी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम 15 मिनट पहले परीक्षा–भवन में एकत्र हो जाना चाहिये। किन्हीं दिनो परीक्षा के दो/तीन सत्र (सवेरे, माध्यान्ह व अपरान्ह) हो सकते है।
   (अ) परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक है कि परीक्षा–समय समाप्त होते ही अपनी उत्तर–पुस्तिकाएं दे दें। अपनी उत्तर--पुस्तिका निरीक्षक इन्चार्ज को सौंपे बिना उन्हें परीक्षा–भवन से बाहर नहीं जाना चाहिए।
   (ब) नेत्रहीन परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रश्न–पत्र उत्तरित करने के लिए एक घन्टे का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।
4. A seat marked with his roll number will be allotted to each candidate and a book for writing answers will be found on his desk. Candidates will be required to find their seats for themselves.
   प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए उसके रोल नम्बर की अंकित सीट निश्चित होगी तथा उत्तर पुस्तिका डैस्क पर मिलेगी। परीक्षार्थियों को अपना नियत स्थान स्वयं खोजना चाहिए।
5. Candidates should note very carefully that, except for the Admission Card issued by the Rajasthan Paramedical Council, Jaipur, they should not bring with them in the Examination Hall any paper of note-book or notes etc. or any other article containing hints which are likely to prove helpful in answering the questions. If any other paper is recovered from their possession, it shall tantamount using unfairmeans in the examination and will be dealt with under O. 152 and no excuses of any kind shall be entertained in this regard. Candidates found talking or indulging in other activities treated as undesirable or objectionable by the centre superintendent will also be dealth with accordingly.
   परीक्षार्थियों को यह भली–भांति जान लेना चाहिए कि वे अपने साथ कोई कागज या कापी अथवा टिप्पणी वगैरह अथवा अन्य कोई वस्तु जिसमें संकेत हो, जो कि प्रश्नों को उत्तरित करने में सहायक सिद्ध हो सकती हो, परीक्षा भवन में न लावें। उन्हें केवल राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र ही साथ रखना चाहिए। यदि उनके पास अन्य कोई कागज पाया गया तो उसे परीक्षा में अनुचित तरीको का प्रयोग समझा जायेगा तथा उस पर अध्यादेश 152 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। यदि परीक्षाथी बात करते हुए अथवा कोई अन्य आवंछनीय या एतराज योग्य कार्यवाही करते हुए पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध तदनुरूप कार्यवाही कार्यवाही की जाएगी।
6. (a) Candidate should be prepared/produce themselves for giving their search physically to the supervisory staff/Internal Flying squad/RPMC Flying squad, or any person authorized by the RPMC Center Superintendent, if they are asked to do so during the examination.
   परीक्षा के दौरान वीक्षक, कॉलेजाध्यक्ष, आरपीएमसी उडनदस्ता अथवा आरपीएमसी तथा केन्द्राधीक्षक द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति द्वारा तलाशी देने के लिये कहने पर परीक्षार्थी को तलाशी देने के लिए कहने पर परीक्षार्थी को तलाशी देने से इनकार नही करना चाहिये।
7. Answers must be written on both sides of the leaf no portion of the answer-book provided should be torn off or folded. If a candidate whishes to cancel any part of his answer, he may do so by drawing distinct lines across its.
   उत्तर पृष्ठ के दोनों ओर लिखे जाने चाहिए। दी गई उत्तर–पुस्तिका का कोई भाग न फाडा जाना चाहिए और न मोडा जाना चाहिए। यदि परीक्षार्थी अपने उत्तर के किसी भी भाग को रद्द करना चाहता है तो यह वह ऐसा साफ क्रास लाइन खींचकर कर सकता है।
8. Candidates should note carefully and comply with the requirement of answering questions in two separate answer-books, wherever laid down. It they fails to do so,

questions of only relevant section shall be examined and those of the irrelevant section treated as cancelled. They should therefore write answers of the questions of Section A in the answer-book of Section A and the answers of the questions of Section B in the answer-books of Sections.

जहाँ भी प्रश्नों के उत्तर दो पृथक उत्तर–पुस्तिकाओं पर उत्तरित किये जाने हों वह परीक्षार्थियों को भली–भांति जान लेना चाहिए तथा उसकी अनुपालना करना चाहिए। यदि वे ऐसा नही करते तो संबंधित भाग के ही प्रश्न परीक्षित किए जायेंगे तथा दूसरे भाग के रद्द समझे जायेंगे। परीक्षार्थियो को उत्तर–पुस्तिका पर लिखें खण्ड ''अ'' तथा खण्ड ''ब'' अनुसार उस भाग से संबंधित प्रश्नो को उसी खण्ड की उत्तरपुस्तिका में हल करने चाहिए।

9. No other medium except English, Hindi or Sanskrit (whichever permissible) is allowed for answering question-papers.
प्रश्नोत्तर के लिए हिन्दी, अंग्रेजी या संस्कृत माध्यम (जो भी स्वीकृत है) के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम स्वीकृत नही है।

10. Candidates will be penalized to the extent of one mark per question if they do not number their answers correctly.
परीक्षार्थी यदि अपने उत्तर संख्या सही अंकित नही करते है तो प्रत्येक प्रश्न पर एक नम्बर के हिसाब से दंडित होंगे।

11. Candidates should write their Roll Numbers and other particulars required of them correctly on the cover of the answer-book . The Roll Numbers should be written in English and in figures as well as in words. Writing of Roll Number else where or giving any other mark of identification any where else will be treated as use of unfairmeans.
परीक्षार्थी को उत्तर–पुस्तिका के कवर पर अपना रोल नम्बर तथा अन्य अपेक्षित विवरण सही लिखना चाहिए। रोल नम्बर अंग्रेजी में अंको तथा शब्दों दोनों में ही लिखना चाहिए। निश्चित स्थान के अलावा अन्यत्र स्थान पर अनुक्रमांक लिखना, पहचान चिन्ह लगाना, परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग माना जावेगा।

12. Candidates should not write their names, or should they sign anywhere on the covers or inside the answer-books. If a candidate takes a supplementary answer-books, he should first make necessary entries on the covers and stitch it to the original answer-book at the end. Before handing over his answer-book, it is his responsibility to stitch the supplementary answer-books(s) or any other relevant paper to the main answer books .
परीक्षार्थी को उत्तर–पुस्तिकाओं कें आवरण पृष्ठों अथवा भीतर अपना नाम नही लिखना चाहिए, न ही कही अपने हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि कोई परीक्षार्थी पूरक उत्तर–पुस्तिका लेता है तो उसकी सर्वप्रथम कवर पर आवश्क नाम भरने चाहिए तथा मूल उत्तर–पुस्तिका के अन्त में उसके साथ नत्थी करना चाहिए। उत्तर–पुस्तिका जमा करने से पूर्व यह परीक्षार्थी का दायित्व है कि वह पूरक उत्तर–पुस्तिका (ये) अथवा अन्य कोई कागज इस प्रश्न पत्र से सम्बन्धित मूल उत्तर–पुस्तिका से नत्थी करे।

13. Candidates are required to use their own pen. Graphs and Drawing papers etc. will be supplied to the candidates by the Centre Superintendent, if required by the examiners for answering a particular question in a particular paper.
सभी परीक्षार्थियो को स्वय की लेखनी काम में लानी होगी। ग्राफ तथा ड्राइंग–पेपर वगैरह यदि परीक्षक द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न–पत्र के किसी विशिष्ट प्रश्न को उत्तरित करने के लिए चाहे गये है, तो वे केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिये जायेंगे।

14. Candidates must obey all instructions they receive from the Superintendent of the Center.
परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन परीक्षार्थियों को करना चाहिए।

15. Candidates must show their Admission Cards when demanded. They should write their names for the second time on the application froms when asked to do so.
परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र मांगे जाने पर दिखाने चाहिये। आवेदन पत्र पर अपना नाम दुबारा लिखने के लिये कहे जाने पर लिखना चाहिए।

16. Smoking and other intoxicants are strictly prohibited in the Examination Hall.
परीक्षा हॉल में धुम्रपान एंव अन्य मादक पदार्थ वर्जित है।

17. Where a candidate changes ink while he is answering a paper, he should bring this fact the notice of the invigilator on duty who will record this fact at the appropriate place and affix the Controller of Examinations facsimile stamp.
यदि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र उत्तरित करते हुए स्याही बदलता है तो उसे यह तथ्य निरीक्षक की जानकारी में लाना चाहिए जो कि निश्चित स्थान पर इस तथ्य को अकिंत कर परीक्षा नियन्त्रक की हस्ताक्षर सील मुद्रित करेगा।

18. Candidates should note carefully that it shall be deemed an offence amounting to cheating if they write answer to the same question more than once.
परीक्षार्थियों को यह भली–भींति जान लेना चाहिए कि यदि वे किसी प्रश्न के उत्तर एक बार से अधिक लिखते है तो यह अपराध धोखाधड़ी के समान समझा जायेगा।

19. Candidates must write the words "The End" at the end of the last answer in the answer-books and cross all the blank pages of answer-books.
परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अतिंम प्रश्न के अन्त में 'समाप्त' शब्द लिखें तथा शेष बचे रिक्त पृष्ठों पर क्रास करे।

20. No candidate should leave any page blanks in between any two answers in the answer-books. If a page or two are inadvertently left bland, the letters "P.T.O" must invariable be written on that page or pages for the guidance of the examiner.
परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में दो उत्तरों के बीच कोई पृष्ठ खाली न छोडे। यदि भूल से एक या दो पृष्ठ छूट जाते है तो ''कृ.पृ.उ.'' प्रत्येक पृष्ठ पर परीक्षक के निर्देश के लिए अवश्य लिखे।

JAIPUR **Controller of Examination**